

पत्रांक: 797-E/NCR / Policy/HRA
दिनांक : 23/06/2017

RBE No.55/2017
NCR PS No.5094/2017

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि. उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक/सा. मु.प्रशा. अधि./नि
मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शॉप झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/झांसी, उप मु. अभि./सीपीओएच/इला., उप मु. अभि./सीएसपी इला.
प्रिन्सिपल - सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक
मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद, एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झांसी,
बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड
डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, परमानेंट वे ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर,
सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झांसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, मु.प्रा.
अधि./आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाइन/इला./झांसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज लाईन/झांसी।
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Sub- Grant of House Rent allowance to Railway employees posted to new
Zones/new Divisions

A copy of Railway Board's letter No E(P&A)II-98/HRA-6 dated 06.06.2017 is
sent herewith for your information, guidance and necessary action.

Policy letters circulated under NCRPS Nos. may also be downloaded from website
www.ncr.indianrailways.gov.in
(About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

DA: As above.

(V.P. Singh)
Sr. Personnel Officer/HQ
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मुख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/एससी-एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए
8. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसिएशन
9. महामंत्री ओबीसी एशोसिएशन

07
13/6

भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

RBL-2017-1139
12-6-17

सं. ई(पीएंडए)॥-98/एच.आर.ए-6

महाप्रबन्धक कार्यालय उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद RB 07/12 JUN 2017 महाप्रबन्धक	आर.बी.ई.सं. 55/2017 दिल्ली, दि. 6.06.2017 CPO 17/6/17 30
---	--

महाप्रबन्धक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि।

NCR
Allahbad

विषय :- नई रेलों/नए मंडलों में तैनात रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान करना.

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 9.3.2004 और 13.06.2016 के समसंख्यक पत्र में उल्लिखित अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. दिनांक 22.03.2017 के पत्र सं. ई (जी)2009 क्यूआर 1-2 के पत्र को जारी किए जाने के पश्चात बोर्ड द्वारा इस मामले की जांच की गई और यह विनिश्चय किया गया है कि पूर्व-मध्य रेलवे पर तैनात रेलवे कर्मचारियों को समय-समय पर संशोधित किए गए/स्पष्ट किए गए ऊपर उल्लिखित पत्र दिनांक 09.03.2004 में निर्धारित निबंधों और शर्तों के अनुसार 31.12.2017 तक मकान किराया भत्ता प्रदान किया जाए।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

प्रो. सलीम अहमद
(सलीम मो. अहमद)
उप. नि./स्था.(वे.एवं भ.)॥
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पीएंडए)॥-98/एच.आर.ए-6

नई दिल्ली, दि. 06.2017

भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(रेलें) कमरा नं. 222 रेल भवन, नई दिल्ली को प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियां सहित) प्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे

CPO/A	
DY. CPO/GAZ	
DY. CPO/IR	
DY. CPO/HQ	
CHAIRMAN/RRC	
SPO/HQ	
SPO/IR	
APO/IR	

13.6.17
CPO

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBE No. 55 /2017

No.E(P&A)II-98/HRA-6

New Delhi, dated 6.06.2017.

The General Manager/CAO's
All Indian Railways & Production units.

**Sub.: Grant of House Rent Allowance to Railway employees posted
to new Zones/new Divisions - Regarding.**

Attention is invited to the instructions contained in Board's letters of even number dated 09.03.2004 & 13.06.2016 on the above subject.

2. The matter has been considered by the Board subsequent to issue of letter No. E(G)2009 QR -1-2 dated 22.03.2017 and it has been decided that railway employees posted to ECR may be allowed house rent allowance upto 31.12.2017 on the same terms and conditions laid down in the letter of even number dated 09.03.2004 ibid and as amended/clarified from time to time.
3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.



(Salim Md. Ahmed)
Dy. Director/E(P&A)-II
Railway Board.

No.E(P&A)II-98/HRA-6

New Delhi, dated 6.06.2017.

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi.



For Financial Commissioner/Railways.

No.E(P&A)II-98/HRA-6

New Delhi, dated 6.06.2017.

Copy to :-

- (1) The FA & CAOs, All Indian Railways & Production Units etc.
- (2) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.
- (3) Director General RDSO Lucknow.
- (4) The Director (a) IRIEEN, Nasik, (b) IRICEN, Pune, (c) IRIMEE, Jamalpur, (d) IRISSET, Secunderabad

Contd....2/-